420/17 BA.

14/17 6.7.

Date of order or proceeding

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature o Parties or Pleaders whe necessayry

13,12,17

necessary

आवेदक / आरोपी रिंकू उर्फ रिंका अभिरक्षा में, की ओर से श्री नीरज श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सबलसिंह भदौरिया उपस्थित।

विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) गोहद, जिला भिण्ड का न्यायालय रिक्त होने से कार्य विभाजन पत्रक के अंतर्गत जमानत आवेदन की सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है।

आवेदक को नियमित जमानत पर छोड़े जाने के लिये प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. इस आधार पर पेश किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके विरूद्ध झूंठा मामला पंजीबद्ध कराया गया है। आवेदक करीब छः माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में चालान पेश किये जाने के उपरांत कमिट होकर विचारण किया जा रहा है। इसलिये उसे जमानत का लाभ दिया जाये।

विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया है।

उभय पक्ष को जमानत आवेदन पर सुना। अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के न्यायालय के सत्र प्रकरण क्रमांक 14/17 के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

आवेदक रिंकू उर्फ रिंका व अन्य के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र मौ, जिला भिण्ड द्वारा अप.क. 151/17 में भां.द.वि की धारा 363, 376डी, 366, 506बी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6, 5जी, 5आई व 18 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण उपरांत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है जो कि सत्र प्र.क. 14/17 के रूप में लंबित होकर आरोप तर्क हेतु नियत है।

अभियोजन पक्ष कथनानुसार घटना के समय अभियोक्त्री की आयु 15 वर्ष थी। आवेदक / अभियुक्त व सह अभियुक्त रिंकू ने रात में अवयस्क अभियोक्त्री के घर में घुसकर उसे उठाकर ले गये तथा आवेदक ने उसकी कनपटी पर कट्टा लगा दिया था तथा उसे जंगल में ले जाकर आवेदक व अन्य अभियुक्त राजेश द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था तथा बाद में आवेदक द्वारा अभियोक्त्री व सह अभियुक्त राजेश को मोटरसाइकिल से ग्वालियर ले जाकर अहमदाबाद जाने वाली बस में बिठा दिया था। अहमदाबाद में सह अभियुक्त राजेश ने अभियोक्त्री को कमरे में बंद रखकर उसके साथ प्रतिदिन बलात्कार किया तथा सह अभियुक्त राजेश अभियोक्त्री से शादी करने के लिये कहता था जिससे अभियोक्त्री द्वारा इंकार करने पर उसके परिवार को खत्म करने की धमकी देता था।

यह सही है कि आवेदक 15.6.17 से न्यायिक अभिरक्षा में है और प्रकरण में अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण में अभी आरोप विरचित नहीं हुये हैं, परंतु अवयस्क अभियोक्त्री के साथ आवेदक व अन्य सह अभियुक्त द्वारा उसके साथ उसे घर से जंगल में ले जाकर सामूहिक बलात्कार करना बताया गया है। आवेदक का भांदावि की धारा 363, 376डी, 366, 506बी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा

Date of order or proceeding

order or proceeding with signature of Presiding Office

6, 5जी, 5आई व 18 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार के गंभीर मामूल विचारण किया जा रहा है। अतः आवेदक के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य एव प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दप्रस निरस्त किया जाता है।

प्रकरण आरोप तर्क हेतु पूर्व नियत दिनांक 22.12.17 को पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अजहर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद के समक्ष रखा

जाये।

(योगेश कुमार गुप्ता) विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी.एक्ट) भिण्ड वास्ते— विशेष न्यायाधीश, पाक्सो, गोहद